

वनमण्डलाधिकारी/मुख्य वन संरक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण के लिये निर्धारित जाँच सूची

-00-

मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड रायपुर (छ0ग0) द्वारा शाहपुर पश्चिम भूमिगत कोल ब्लॉक में प्रस्तावित राजस्व वनभूमि रकवा 15.549 हे० वनमण्डल दक्षिण शहडोल में स्थित कोल माईन का मेरे द्वारा दिनांक 29.11.2022 को उप वनमण्डलाधिकारी सोहागपुर/वन परिक्षेत्राधिकारी शहडोल संबंधित वन स्टाफ आवेदक संस्थान विभाग के अधिकृत प्रतिनिधि श्री रजत मेहरोत्रा सहायक महाप्रबंधक, अंकित पटेल सर्वेयर के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया विवरण निम्नानुसार है :-

क्र०	विशेष	वनमण्डलाधिकारी/ मुख्य वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण की रिपोर्ट		
1	सीमा हेक्टेयर	राजस्व वनभूमि रकवा 15.549 हेक्टेयर		
2	वनभूमि के स्थान (अक्षांश देशांश डायवर्जन के लिये प्रस्ताव रखा।	1	N-23°14'23.62"	E-81°18'43.00"
		2	N-23°14'22.95"	E-81°18'42.91"
		3	N-23°14'55.41"	E-81°18'35.25"
		4	N-23°14'46.03"	E-81°18'44.01"
		5	N-23°14'44.91"	E-81°18'41.16"
		6	N-23°14'22.95"	E-81°18'42.91"
		7	N-23°14'48.73"	E-81°18'24.31"
		8	N-23°14'55.95"	E-81°17'49.78"
		9	N-23°14'55.26"	E-81°17'50.88"
		10	N-23°14'27.29"	E-81°17'59.97"
3	वनभूमि (संरक्षित वन/आरक्षित वन/राजस्व वनभूमि या किसी भी अन्य वनभूमि) की कानूनी स्थिति।	वन परिक्षेत्र	खसरा क्रमांक	आवेदित रकवा
		शहडोल	राजस्व वनभूमि की ग्रामवार खसरावार सूची संलग्न है।	15.549
4	आस्थायी केन्स आदि के साथ क्षेत्र का सीमांकन।	आवेदक संस्थान के साथ किया गया।		
5	अतिक्रमण का कोई भी लक्षण।	प्रस्तावित राजस्व वनभूमि पर स्थाई संरचना का निर्माण नहीं है कहीं-कहीं स्थानीय लोगों द्वारा मौसमी खेती किया जाना पाया गया है, उक्त परियोजना भूमिगत है।		

6	किसी भी गतिविधि को पहले से ही उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा वनभूमि या उससे सटे गैर वनभूमि के भीतर प्रस्तावित परियोजना के भाग के रूप में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा कर लिया गया हो तो वनसंरक्षक अधिनियम के दिशा निर्देशों के तहत उल्लंघन के मामले में उपयोगकर्ता एजेन्सी के खिलाफ की गयी कार्यवाही का विवरण।	उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा वनभूमि में कोई अवैध कार्य नहीं किया गया है।
7	वनस्पति की स्थिति साइट की गुणवत्ता/ प्रजाति संरचना आदि।	प्रस्तावित परियोजना में राजस्व वनभूमि प्रभावित हो रही है जिसका स्थल गुणवत्ता IVa है जिसका घनत्व 0.4 से कम है।
8	वन्य जीवन की दृष्टि से क्षेत्र का महत्व। वन्यजीवन की स्थिति (घनत्व और महत्वपूर्ण प्रजातियों, पक्षी जीवन सरीसृप, तितलियों, और अन्य अनूसूचित वन्यप्राणी किसी भी लुप्त प्रायः वन्यजीवों की बहुतायत की स्थिति इस क्षेत्र में वन्य जीवन की नवीनतम गणना।	मुख्य रूप से वन्यप्राणी चीतल, जंगली सुअर, लोमड़ी सियार एवं बन्दर पाये जाते हैं।
9	वनस्पति, पशुवर्ग या क्षेत्र में किसी भी अन्य अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र की स्थानिकता।	निरंक
10	वर्तमान भूमि उपयोग। इस क्षेत्र में कार्य करने में कामयाब रहे तो कार्य आयोजना के नुस्खे यदि नहीं, क्यों?	परियोजना में प्रस्तावित राजस्व वनभूमि है जिसके संबंध में कलेक्टर जिला शहडोल द्वारा पत्र क्रमांक/1648 दिनांक 16.03. 2022 से लेख किया गया है पत्र की छायाप्रति प्रस्ताव में संलग्न है।
11	ऐतिहासिक या धार्मिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र का महत्व।	निरंक
12	इस जमीन पर किसी भी व्यक्तियों/परिवार का निर्भरता।	नहीं
13	व्यक्तियों के विस्थापन का प्रस्ताव।	नहीं
14	वहाँ किसी भी पुर्नवास और पुर्नस्थापन की योजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिये है? वहाँ विस्थापित करने के लिये प्रस्तावित व्यक्तियों के बीच किसी भी असहमति आवाज है?	नहीं
15	प्रस्तावित प्रतिपूरक वनीकरण वनभूमि या गैर वनभूमि पर है। वृक्षारोपण के लिये क्षेत्र की उपर्युक्त का स्थान अगर बिगड़ें वन भूमि में है तो वर्तमान कार्य आयोजना के अनुसार विवरण गैर वनभूमि है तो, नजदीक वनक्षेत्र से दूरी। मामला क्षेत्र में पैच की संख्या से अधिक किलो मीटर दूर करने के लिये किया जाना चाहिये।	उपरोक्त परियोजना भूमिगत कोल माईन है, आवेदक संस्थान द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु जिला सागर के वनमण्डल दक्षिण सागर में गैर वनभूमि का चयन कराया जाकर क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना तैयार की गई है जिसकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त सागर द्वारा जारी की गई है। प्रस्ताव संलग्न है।

16	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं होना चाहिये। इसके आलावा नजदीकी के संरक्षित क्षेत्र की दूरी 10 कि०मी० की दूरी पर होना चाहिये।	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं है संरक्षित क्षेत्र की दूरी लगभग 25.15 कि.मी. बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बफर जोन की सीमा है।
17	इस क्षेत्र में जनजाति की निर्भरता चाहे आदिवासी के अधिकार के लिये इस क्षेत्र में मान्यता दी गयी है।	प्रस्तावित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों को वन अधिकार पत्र नहीं दिए गये हैं। आवेदित क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अधिकारों के विनिश्चयन की कार्यवाही पूर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्र हेतु आवेदक द्वारा दिनांक 03.02.2022 से कलेक्टर जिला शहडोल को आवेदन किया गया है आवेदन की छायाप्रति प्रस्ताव में संलग्न है।
18	परियोजना के पास के इलाके में रहने वाले लोगों सहित परियोजना की उपयोगिता।	उपरोक्त परियोजना स्वीकृति से स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने/सामाजिक आर्थिक सुधार होगा।
19	नवीनीकरण के मामलों में पूर्व स्वीकृत के आदेश में निर्धारित की गयी समस्त शर्तों का पालन किया गया है, या नहीं।	प्रकरण नवीनीकरण का नहीं है।
20	गैर-साईट विशिष्ट परियोजनाओं के मामले में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा जांच विकल्प।	उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा विकल्प न होने संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है, प्रस्ताव में संलग्न है।
21	वनभूमि गैर वानिकी उद्देश्य के न्यूनतम व्यपवर्तन के लिये अनुरोध किया है। उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा इसका प्रमाण-पत्र।	उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा मांग की गई वनभूमि न्यूनतम है। उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न है।
22	वनभूमि जिसका व्यपवर्तन किया जा रहा है जिस उद्देश्य के लिये सुनिश्चित करते हुये पेड़ वृद्धि को बचाने की कोई गुंजाईश।	उपरोक्त परियोजना में मिश्रित प्रजाति के 105 नग वृक्ष हैं साईजवार प्रजातिवार वृक्षों की सूची संलग्न है।
23	महत्व के किसी भी अन्य मुद्दे।	निरंक
24	परियोजना के अनुमोदन के लिये कारण के साथ वनमण्डलाधिकारी की विशिष्ट सिफारिशें।	ऊर्जा की आवश्यकता को देखते हुए परियोजना शाहपुर पश्चिम भूमिगत खदान वनभूमि रकवा 15.549 हे० व्यपवर्तन हेतु अनुशंसा की जाती है।

स्थान :-

शहडोल

दिनांक :-

4/1/2023

(अशोक कुमार सोलंकी)

वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल दक्षिण शहडोल

04/01/23